अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास (आर.ए.एस.)

गोपाल वगै0 बनाम कल्याण वगै0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए, 209 रा.का. अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 99/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू सुनील कुमार झिंगोनियां (आर.ए.एस.) व अधिवक्ता वादी श्री शम्मी मोहम्मद, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 श्री मोहम्मद युसुफ व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दई रूबरू .....मिनजामिन मुछ्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का दावा स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि पुस्त पृष्ठ पर विवादित आराजी के विभाजनानुसार पक्षकारान के नाम नामान्तकरण दर्ज करवा कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें।

निजी.....X.....मुबलिक.....X.....बाबत्.....X.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक.....X..... को अदा करें।

वसूलियाव तक.....X..... को अदा करें।

वासख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 19.03.2025 को अंतिम डिक्री की जाती हैं।

दस्तख्त.....

ओहदा.....उपखण्ड अधिकारी (अजमेर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		—	स्टाम्प अर्जी दावा	—	—
स्टाम्प वकालत नामा	—	—	स्टाम्प वकालत नामा	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महन्ताना वकील	—	—
महन्ताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमीश्नर	—	—
फीस कमीश्नर	—	—	बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—			
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—
मिजान			मिजान		

नोटः— इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।